न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी —कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 45/2010 आ.नि.14(4)

सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. रामबाई पत्नि छोटेलाल
2. गंगा देवी पत्नि कजोड मल
3. केसरी पत्नि चौथमल

समस्त जाति बैरवा निवासी कालीपहाडी तहसील दौसा जिला राजस्थान

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) भू—आवंटन नियम—1970

उपस्थित—1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय   दिनांकः 21.10.2022

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.6.2002 को ग्राम कालीपहाडी तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1967 रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण को किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू—आवण्टन नियम—1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प कालीपहाडी द्वारा दिनांक 28.6.2002 को अप्रार्थीगण रामबाई पत्नि छोटेलाल, गंगा देवी पत्नि कजोड मल, केसरी पत्नि चौथमल जाति बैरवा निवासी कालीपहाडी तहसील दौसा जिला दौसा को ग्राम कालीपहाडी तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1967 में से 0.50 है0 भूमि का आवंटन किया गया था। किंतु अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदारान ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। खसरा गिरदावरी संवत 2063 से 2065 में भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटितीगण द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण प्रश्नगत भूमि का किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 1967 किस्म सिवायचक में से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.6.2002 को 0.50है. भूमि आवंटित की गई थी। आवंटन के पश्चात राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नंबर 1967/13 रकबा 0.50है. दर्ज किया गया है। आवंटन कमेटी द्वारा उक्त आवंटन विधिवत रूप से नियमों की पालना करते हुए किया गया है। प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थीगण का आवंटन के समय से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है। भूमि का आवंटन कोरम में किया गया है। भूमि आवंटन हेतु आवंटन फार्म भरकर पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर आवंटन कमेटी द्वारा मजमे आम में भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त निरन्तर है जिसकी खसरा गिरदावरी संवत 2072

...निरंतर 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:56:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रा0 पत्र सं0 45/2010 आ.नि.14(4)

की पेश है। भू आवंटन नियम के अनुसार वे ही आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं जो मैलाफाईड तरीके से एवं फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज पेश कर किये गये हो। जबकि आवंटन नियमों की पालना करते हुए भूमि का आवंटन किया गया है। साथ ही भू आवंटन प्रावधानों के अनुसार किसी भी आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद 14(4) उजरात पेश नहीं किये जा सकते है। आवंटित भूमि खसरा नंबर 1967/13 रकबा 0.50है. के अप्रार्थीगण खातेदार काबिज काश्तकार है। इस प्रा0पत्र 14(4) उजरात में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने समर्थन में आरआरडी–1993 पेज 417, आरबीजे (4) 1997 पेज 167, आरबीजे (4) 1997 पेज 780, आरआरडी–2002 पेज 237, आरआरडी–2007 पेज 713, आरआरडी–2008 पेज 125 की प्रति प्रस्तुत कर तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप कालीपहाडी द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 28.6.2002 को ग्राम कालीपहाडी स्थित भूमि खसरा नंबर 1967 में से 0.50है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत 2063 से 2065 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटितीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थीगण का यह कथन सही नहीं है कि आवंटितीगण भूमि आवंटन के बाद से ही भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। जमाबंदी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आज दिनांक तक भी भूमि आवंटीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। अधिवक्ता का यह कथन सत्य नहीं माना जा सकता है कि आवंटीगण को प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। साथ ही पत्रावली में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत 2072 का अवलोकन किया गया जिसमें फसल खरीफ एवं रबी में काश्त किये जाने का अंकन है। इसके पूर्व अथवा पश्चात की खसरा गिरदावरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने पेश नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का निरंतर कब्जा काश्त रहा है। मात्र एक वर्ष में फसल दर्ज होने से आवंटीगण का कब्जा निरन्तर नहीं माना जा सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। अतः हम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.6.2002 को अप्रार्थीगण को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से भूमि आवंटन खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 28.6. 2002 द्वारा ग्राम कालीपहाडी में अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया प्रश्नगत आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली [illegible] हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:56:57 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 21 [illegible] 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official